भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2059

जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है

पुलियों/पुलों की ऊंचाई में वृद्धि

†2059. श्री जगदीश शट्टर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजमार्गों का निर्माण करते समय वाहनों की सुगम आवाजाही की सुविधा के लिए पुलियों/पुलों की ऊंचाई वर्तमान 4.5 मीटर से बढ़ाकर 5.5 मीटर करने के लिए किन्हीं उपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ख) पुलिया और पुल राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित क्रॉस-ड्रेनेज अवसंरचनाएं हैं जो राष्ट्रीय राजमार्गों के पार प्राकृतिक जलधाराओं की निकासी में सहायता करती हैं। इन अवसंरचनाओं के निकास का आकार, फैलाव की व्यवस्था और ऊंचाई उस स्थान पर मौजूद जल संबंधी कारकों, जैसे कि डिज़ाइन डिस्चार्ज, उच्चतम बाढ़ स्तर, अनुमेय जल प्रवाह और कटाव संबंधी कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है, राजमार्ग के नीचे वाहनों की आवाजाही की आवश्यकता द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है क्योंकि ये जलप्रवाह को पार करने के लिए बनाई गई हैं।

तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर और नीचे यातायात की आवाजाही ग्रेड-सेपरेटेड अवसंरचनाओं, जैसे कि वाहन अंडरपास (वीयूपी), लाइट व्हीकल अंडरपास (एलवीयूपी)/छोटे वाहन अंडरपास (एसवीयूपी), पशु अंडरपास (सीयूपी) और पैदल यात्री अंडरपास (पीयूपी) के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन अंडरपास (वीयूपी) के लिए न्यूनतम 5.5 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पूर्व निर्धारित है, और यह राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, चार/छह लेन के निर्माण और उन्नयन के दौरान प्रदान की जाती है। एलवीयूपी/एसवीयूपी/सीयूपी/पीयूपी श्रेणियों में आने वाली अवसंरचनाओं (ऊंचाई 3.0 मीटर से 4.5 मीटर तक भिन्न होती है) का डिजाइन के अनुसार कम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के साथ निर्माण किया जाता हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य पैदल यात्रियों सहित सीमित श्रेणी के यातायात के लिए सुगमता प्रदान करना है।
